फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी श्री अम्बालाल   बनाम   विपक्षी श्री भेरूलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम   पत्रावली संख्या 43/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 22 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 22 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 23 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनागरत भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त भूमि होकर हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। प्रार्थनागरत आराजीयात का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है विपक्षीगण विशेष भू भाग को हस्तान्तरित करने व बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनागरत भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में विपक्षीगण द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही हैं व विशेष हिस्से को हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके में स्थायी परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मोगजी का खेडा पटवार हल्का कंदारिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत 2078–81 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 02 की आराजी नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 6 रकबा 1.3100 हे. भूमि, परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 03 की आराजी नंबर 10, 3, 52, 53, 54, 55, 9 कुल किता 7 रकबा 1.3000 हे. भूमि, परिशिष्ट (ग) खाता संख्या नया 04 की आराजी नंबर 1, 11, 12, 13, 49, 50, 51, 621/9 कुल किता 8 रकबा 1.7800 हे. भूमि, परिशिष्ट (घ) खाता संख्या नया 05 की आराजी नंबर 47 कुल किता 1 रकबा 0.0300 हे. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested